

सोशल

मीडिया

सेल

जनपद

आजमगढ़

पत्र संख्या:- 23/प्रेसनोट/2021

10 जनवरी 2021

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना बिलरियागंज

गैंग डी-48 का सक्रिय सदस्य वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, व क्षेत्राधिकारी सगड़ी व थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना बिलरियागंज आजमगढ़ के कुशल नेतृत्व में उ०नि० ओमप्रकाश यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा मय फोर्स के महा अभियान के तहत तलाश वांछित अपराधी रोकथाम जूर्म जरायम के दृष्टीगत भ्रमगशील रहकर दिनांक 10.01.2021 समय करिब 10.15 बजे दिन में एक नफर पुलिस मुठभेड़ का शातिर अपराधी व गैंग डी-48 का सक्रिय सदस्य वांछित अभियुक्त मिस्टर पुत्र सोबीन सा० खानकाह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को सम्बन्धित मु०अ०सं० मु०अ०सं० 218/2020 धारा 307/34 भादवि में बिंदवल बाजार से गिरफ्तार किया गया हैं। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

वांछित अभियोग

मु०अ०सं० 218/2020 धारा 307/34 भादवि थाना बिलरियागंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम:-

मिस्टर पुत्र सोबिन सा० ग्राम खानकाह, थाना बिलरियागंज आजमगढ़

अपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 870/2010 धारा 307/429 भादवि
2. मु०अ०सं० 871/2010 धारा 3/5ए/8 गोवध निवा०अधि०
3. मु०अ०सं० 872/2010 धारा 11 पशु क्रूरता निवा०अधि० थाना बिलरियागंज आजमगढ़
4. मु०अ०सं० 98/2011 धारा 307 भादवि थाना बिलरियागंज आजमगढ़
5. मु०अ०सं० 99/2011 धारा 3/5ए/8 गोवध निवा०अधि० व 11 पशु क्रूरता निवा०अधि० थाना बिलरियागंज आजमगढ़
6. मु०अ०सं० 29/2017 धारा 3/4 उ०प्र० गुण्डा अधि० थाना बिलरियागंज आजमगढ़
7. मु०अ०सं० 218/2020 धारा 307/34 भादवि थाना बिलरियागंज आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० ओमप्रकाश यादव थाना बिलरियागंज आजमगढ़
2. का० नन्दलाल पाल, का० अजय सिंह थाना बिलरियागंज आजमगढ़
3. म०का० आरती सिंह, म०का० प्रज्ञा यादव थाना बिलरियागंज आजमगढ़

थाना अतरौलिया

## **01 वाछित अभियुक्त गिरफ्तार**

अभियुक्त नीरज पुत्र राजेश निवासी रिठिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध थाना स्थानीय पर वादिनी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ने मु0अ0सं0 5/20 धारा 374AB भादवि व 5M /6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कराया गया है जब वादिनी पैसा निकालने व घर का सामान लेने नंदना बाजार गयी थी तो वादिनी की लड़की उम्र 12 वर्ष लगभग अपने गेहू के खेत में गयी थी तो अभियुक्त नीरज पुत्र राजेश निवासी रिठिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी के लड़की को बगल के सरसों के खेत में ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत करने के सम्बन्ध में है

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह , अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ द्वारा उक्त प्रकरण को संज्ञान लेकर प्रभारी निरीक्षक अतरौलिया को निर्देशित किया गया । SHO दिनेश कुमार यादव मय हमराह SI रविन्द्र प्रताप यादव , का0 राजन , का0 भोलू यादव , महिला आरक्षी नेहा अवस्थी के दिनांक 10/01/2021 को दौरान क्षेत्र भ्रमण व चेकिंग के अभियान के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त नीरज पुत्र राजेश निवासी रिठिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को शेरवा पुल के पास से समय 6.30 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

**पूछताछ का विवरण** –अभियुक्त -नीरज पुत्र राजेश निवासी रिठिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा बताया गया साहब अकेले में देखकर मेरी नियत खराब हो गयी थी मुझे माफ कर दिए ।

### **पंजीकृत अभियोग –**

मु0अ0सं0 5/21 धारा -374AB भादवि व 5M /6 पाक्सो एक्ट थाना अतरौलिया आजमगढ़

### **गिरफ्तार अभियुक्त –**

1. नीरज पुत्र राजेश निवासी रिठिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

प्रभारी निरीक्षक अतरौलिया दिनेश कुमार यादव , मय हमराह si रविन्द्र प्रताप यादव का0 राजन कुमार , का0 भोलू यादव , महिला आरक्षी नेहा अवस्थी

## **थाना अतरौलिया**

### **छेड़छाड़ का आरोपी युवक गिरफ्तार**

अभियुक्त अशोक राजभर पुत्र फिरतु राजभर ग्राम कडसरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध थाना स्थानीय पर वादिनी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ने मु0अ0सं0 6/21 धारा 452/354/323/506 भादवि थाना स्थानीय पर दिनांक 09/01/2021 को पंजीकृत कराया है जिसमें अभियुक्त उपरोक्त द्वारा वादिनी के घर में घुसकर रात्रि 12 बजे वादिनी की लड़की उम्र 19 के साथ छेड़छाड़ करना शोर करने पर व वादिनी की छोटी पुत्री के आने पर मारते हुआ जान से मारने की धमकी देकर भाग जाना ।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ द्वारा संज्ञान लेकर प्रभारी निरीक्षक अतरौलिया आजमगढ़ को निर्देशित किया गया। SSI माखन सिंह मय हमराह का0

विनय प्रताप सिंह के दिनांक 10/01/2021 को दौरान क्षेत्र भ्रमण व चेकिंग के अभियान के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अशोक राजभर पुत्र फिरतु राजभर ग्राम कडसरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को मदियापार रोड सेल्हरापट्टी ब्रिज के पास 9.30 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**पंजीकृत अभियोग –**

मु0अ0सं0 6 /21 धारा -धारा 452/354/323/506 थाना अतरौलिया आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त –**

अशोक राजभर पुत्र फिरतु राजभर ग्राम कडसरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

SSI माखन सिंह , का0 विनय प्रताप सिंह

**थाना अतरौलिया**

**एक नाजायज 315 बोर देशी तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ अभियुक्त गिरफ्तार**

**पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस

अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर व थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में SSI माखन सिंह मय हमराह का0 विनय प्रताप सिंह के देखभाल क्षेत्र पेंडिंग विवेचना अपराध रोकथाम के क्षेत्र भ्रमण व चेकिंग के अभियान के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त हवलदार सिंह पूत स्व0 बासुदेव सिंह ग्राम नाउपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के पास से एक नाजायज 315 बोर देशी तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ पुरवा भेदौरा से समय 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त –**

हवलदार सिंह पूत स्व0 बासुदेव सिंह ग्राम नाउपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

**बरामदगी –**

एक अदद 315 बोर नाजायज कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस

**पंजीकृत अभियोग –**

मु0अ0सं0 7/21 धारा –3/25 आर्म्स एक्ट थाना अतरौलिया आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

SSI माखन सिंह , का0 विनय प्रताप सिंह